फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

बाबू बनाम सोहन

प्रकरण संख्या :- 03/2024 /2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		दिनांक 21/05/24 को पत्रावली पेश हुई। .....सघ द्वारा आज कार्य स्थगित किये जाने के कारण न्यायिक कार्य नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पुर्वानुसार दिनाक..... को पेश हो। 25/4/24	
	25/4/2025	पत्रावली देखा। उपस्थित अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाता है। अधिवक्ता को सुना गया। मूल वाद तरामम्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। अतः वाद बहुलता की संभावना को मद्दनजर रखते हुए पूर्व दिनांक 03/01/2025 के अनुसार उपखण्ड के अतिरिक्त स्थाई निषेधाज्ञा के ताकमना वाद पाकर किया जाता है कि वाद अधीन भूमि के यथास्थिति दीवानी की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली कैमत शुमार होकर इस नम्बर से दर्ज हो।	अधिवक्ता उपस्थित 25/4/25 वादिगण

Bsw
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला- जयपुर